प्रकरण संख्या 67/2018 भैरू रावल बनाम मीठु रावल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 54 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंती में वादी भैरू व उसके भाई मीठू, कालू पिता दौला रावल की आराजी नंबर 608 रकबा 14.04 बीघा स्थित है, जिसमें कालू रावल का 1/3 हिस्सा है। आराजी नंबर 612 रकबा 1.07 बीघा में तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्सा है। आराजी नंबर 616 रकबा 2.07 बीघा, आराजी नंबर 617 रकबा 2.12 बीघा, आराजी नंबर 619 रकबा 3.14 बीघा कुल किता 3 रकबा 3.13 बीघा में तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्सा है। आराजी नंबर 609, 610 रकबा 3.18 बीघा, आराजी नंबर 614 रकबा 1.17 बीघा, आराजी नंबर 620 रकबा 3.09 बीघा कुल किता 3 रकबा 9.04 बीघा में तीनों भाईयों का 1/2, 1/2 हिस्सा होकर कालू रावल का 1/6 हिस्सा है। आराजी नंबर 621 रकबा 20.01 बीघा में तीनों भाईयों का 3/8 हिस्सा होकर कालू का 1/8 हिस्सा है। आराजी नंबर 607 रकबा 0.02 बीघा चाह में तीनों भाईयों का 3/8 हिस्सा होकर कालू का 1/8 हिस्सा है। कालू रावल का दिनांक 16.11.1993 को स्वर्गवास हो गया, जिसने अपने जीवनकाल में वसीयत दिनांक 07.08.1993 वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी। इस प्रकार स्वर्गीय कालू के समस्त हिस्से का वादी अधिकारी है। वादी ने भाई मीठू से बंटवारा कराने को कहा तो उसके आना-कानी करने से विवाद उत्पन्न हुआ। अतः निवेदन किया कि आराजी नंबर 612 रकबा 1.07 बीघा का बंटवारा कराया जाकर स्वर्गीय कालू का 1/3 हिस्सा, स्वयं वादी का 1/3 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा वादी को व शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी को दिलाया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा शेष भूमि में कालू का जो भी हिस्सा बनता है उसका वादी को खातेदार घोषित किया जाकर कालू के बजाय वादी भैरू का नाम अंकित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी [illegible] तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर [illegible] पक्षों की सहमति के आधार पर कालू के 1/3 हिस्से की [illegible] राजियात में वादी 1/2	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 67/2018 भैरू रावल बनाम मीठु रावल व अन्य

हिस्सा वादी भैरू व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी मीठू के दर्ज दर्ज करने का आदेश दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 से जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.11.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 28.08.2018 को हुई, जिसकी नकल दिनांक 30.08.2018 को मिली। तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर धारा 5 जाब्ता मियाद का आवदेन स्वीकार कर अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर पक्षकारों को बिना सुने निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गयी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति का अंकन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर मात्र एक पैराग्राफ में निर्णय पारित कर दिया है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर सभी पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा तनकियात कायम कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम किये तथा पक्षकारों को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना में तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहें। चूंकि प्रकरण काफी पुराना होकर वर्ष 1994 से चल रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में 6 माह में निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested